

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 366 / 2017 / जोधपुर.

मैसर्स सुशीला मोटर्स, आशापूरणा टॉवर्स,
बॉम्बे मोटर्स के पास, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जोधपुर.
2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-तृतीय, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 28/सीएसटी/जेयूई/15-16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-तृतीय, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 10ए के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बजाज ऑटो लिमिटेड उत्तराखण्ड से 'सी' फॉर्म के जरिये रियायती कर दर से माल क्रय किया जाकर उस माल में से वर्ष 2014-15 में रुपये 10,37,59,261/- का माल अन्य राज्य में कन्साइनमेंट एजेंट के जरिये विक्रय करने हेतु स्थानान्तरित कर दिया गया। इस तरह माल को 'सी' फॉर्म के आधार पर रियायती कर दर से क्रय कर उस माल का विक्रय नहीं कर उसे अन्य राज्य में स्थानान्तरित किये जाने के कृत्य को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10(डी) के तहत अपराध मानते हुए केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10ए(1) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की जाकर व्यवसायी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो माल राज्य के बाहर से अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत क्रय कर उसके समर्थन में घोषणा पत्र 'सी' जारी किये गये थे, उस माल को राजस्थान राज्य में विक्रय करने के स्थान पर अन्य राज्य में अपने एजेन्ट के जरिये विक्रय किया गया है, उसमें कोई अविधिकता नहीं है क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत 'सी' फॉर्म के समर्थन से खरीद किये गये माल को केवल उसका पुनः विक्रय किये जाने की ही शर्त है अर्थात् उस माल को राजस्थान के भीतर या राज्य के बाहर विक्रय किया जा सकता है अतः 'सी' फॉर्म पर खरीदे गये माल को अपने एजेन्ट के जरिये अन्य राज्य में विक्रय किये जाने पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(3) में प्रदत्त उद्देश्य की पूर्ति होती है। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खरीद किये गये माल को अविधिक रूप से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(3)(b) के घोषित उद्देश्य से अन्यथा व्ययन (Dispose off) करना मानते हुए धारा 10(d) का अपराध मानकर उस माल पर धारा 10ए के तहत शास्ति का आरोपण किया है जो विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि इस बिन्दु पर उनके द्वारा विस्तृत तर्क पेश करते हुए अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह कथन किया गया था कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10ए के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना विधि के विरुद्ध है परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा इस प्रकरण को पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए बाद सुनवाई पुनः आदेश पारित करने का जो आदेश किया है वह विधिविरुद्ध है बल्कि इस बिन्दु पर विधिक निर्णय दिया जाना अपेक्षित था कि इस प्रकरण में धारा 10एमें शास्ति आरोपण योग्य है अथवा नहीं। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश को अपास्त कर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10ए के तहत आरोपित शास्ति को विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आलोक में अपास्त करने का अनुरोध किया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी की ओर से जो अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी उसमें अपीलार्थी की ओर से प्रारम्भिक रूप से यह तर्क दिया गया था कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का कोई मौका दिये बिना ही एवं उनके द्वारा विक्रय किये गये माल के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किये बिना ही जो आदेश पारित किया गया है वह इस प्रारम्भिक आपत्ति पर ही अपास्त योग्य है ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की प्रार्थना को स्वीकार कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु एवं जवाब के परिप्रेक्ष्य में




लगातार.....3

गुणावगुण पर पुनः आदेश पारित किये जाने का आदेश किया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि अपीलार्थी व्यवहारी को इस अपीलीय आदेश से अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो गया है अतः वे अपना पक्ष कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचन के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई भूल नहीं की गयी है, फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया जावे कि इस सम्बन्ध में सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए अपीलीय आदेश की पालना करें।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय आदेश का परीक्षण किया गया।

6. उक्त प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह रहा है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र 'सी' के समर्थन से जो माल खरीद किया गया था उस माल को अन्य राज्यमें एजेन्ट के जरिये विक्रय करने हेतु घोषणा पत्र 'एफ' के विरुद्ध भिजवाया गया है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 8(3)(बी) में दिये गये प्रयोजनों से अन्यथा व्ययन (Dispose off) माना गया है एवं यह कृत्य अधिनियम की धारा 10(डी) के तहत शास्ति योग्य मानते हुए अधिनियम की धारा 10ए के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रावधान अनुसार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10 के Clause (a) to (f) में वे परिस्थितियां एवं कृत्य बताये गये हैं जो केन्द्रीय अधिनियम में अपराध की श्रेणी में आते हैं एवं इन अपराधों अर्थात् 10(a), (aa), (b), (c), (d), (e), (f) के लिये धारा 10 में ही व्यवसायी के विरुद्ध अपराधिक सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इन अपराधों में से धारा 10(b), 10(c) एवं 10(d) के मामलों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 10A में भी शास्ति आरोपित की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि धारा 10(b), 10(c) एवं 10(d) में दी गयी परिस्थितियों के अपराध में कर निर्धारण अधिकारी धारा 10 में अपराधिक अभियोजन सक्षम न्यायालय में दायर किया जा सकता है अथवा धारा 10ए में शास्ति आरोपित की जा सकती है परन्तु धारा 10ए में शास्ति आरोपित करने के पश्चात् उसी अपराध के लिये न्यायिक अदालत में अभियोजन नहीं किया जा सकेगा अर्थात् एक ही अपराध के लिये दो तरह के दण्ड दिया जाना वर्जित है। अतः धारा 10(b) (c) एवं (d) के अपराध पर धारा 10ए में शास्ति आरोपित की जा सकती है परन्तु यह शास्ति धारा 10 का अपराध कारित होने पर ही आरोपणीय है। धारा 10(डी) में यह भी छूट है कि यदि किसी "Reasonable excuse" के कारण धारा 8(3) का उल्लंघन हुआ है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा। इस तरह उक्त




लगातार.....4

विधिक प्रावधानों के अधीन अपीलीय अधिकारी ने धारा 10(d) में reasonable excuse को प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय देने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है। अधिनियम की धारा 10(d) निम्नांकित है -

10. Penalties

If any person—

(a)

(b)

(c)

(d) after purchasing any goods for any of the purposes specified in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (3) or sub-section (6) of section 8 fails, without reasonable excuse, to make use of the goods for any such purpose; or

(e)

(f).....

PROVIDED he shall be punishable with simple imprisonment which may extend to six months, or with fine or with both; and when the offence is a continuing offence, with a daily fine which may extend to fifty rupees for every day during which the offence continues.

इसी तरह धारा 10ए(1) निम्नांकित है :-


10A. Imposition of penalty in lieu of prosecution -

(1) If any person purchasing goods is guilty of an offence under clause (b) or clause (c) or clause (d) of section 10, the authority who granted to him or, as the case may be, is competent to grant to him a certificate of registration under this Act may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, impose upon him by way of penalty a sum not exceeding one-and-a-half times the tax which would have been levied under sub-section (2) of section 8 in respect of the sale to him of the goods, if the sale had been a sale falling within that sub-section.:

PROVIDED that no prosecution for an offence under section 10 shall be instituted in respect of the same facts on which a penalty has been imposed under this section.

7. अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(3) एवं नियम 12 के विवेचन के पश्चात् अन्तिम रूप से निम्न निर्णय दिया गया है -

“अपीलार्थी द्वारा खरीदा गया माल दूसरे राज्य की स्वयं से भिन्न नाम व स्वामित्व वाले राज्य के बाहर पंजीकृत व्यवसायी फर्मों को शाखा स्थानान्तरण (Stock Transfer) किया है। उक्त शाखा स्थानान्तरण पर अन्तरराज्य व्यापार के दौरान एफ फार्म पर विक्रय किये गये माल के

लगातार.....5

लाभ हानि एवं किसी कारण से नुकसान की स्थिति में अपीलार्थी की जिम्मेदारी है। अन्य राज्य के व्यवसायी का कृत्य (कार्य) अपीलार्थी के अजेन्ट के रूप में किया गया है। देय कर दायित्व की जमा नहीं होने की स्थिति में भी प्रिंसिपल (अपीलार्थी) की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में स्वयं से भिन्न नाम एवं स्वामित्व के राज्य के बाहर के व्यवसायी के मार्फत एफ फार्म पर की गई बिक्री पर शास्ति आरोपण से पूर्व न तो करनिर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम व स्वामित्व से भिन्न राज्य के बाहर पंजीकृत एजेन्टों द्वारा शाखा स्थानान्तरण की बिक्री "सी फार्म" में घोषित उद्देश्य से भिन्न होने के संबंध में किसी प्रकार की विवेचना नहीं की एवं न ही अपीलार्थी को Reasonalbe Excuse के संबंध में समुचित अवसर प्रदान किया जाना पाया गया। अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसरण में आवश्यक है। जिसकी करनिर्धारण अधिकारी द्वारा पालना नहीं की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में इस संबंध में समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किये जाने का कथन उद्धरित किया है। रिमांड रिपोर्ट मांगे जाने पर भी व्यवहारी के पास कोई उचित कारण नहीं होने का तथ्य उल्लेखित कर उचित कारण के मुद्दे एवं कथन को बहाना उल्लेखित किया है जिसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

अपीलार्थी को उचित कारण Reasonable Excuse के तथ्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना नहीं पाया गया। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार आरोपित शास्ति अपास्त कर प्रकरण, कर निर्धारण अधिकारी को, प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को विशिष्ट सम्मन जारी कर प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत करवाते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रावधानों के तहत नये सिरे से (A Fresh) आदेश पारित किया जावें।

अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन प्रकरण में राज्य के बाहर से सी फार्म पर खरीदे गये माल जिसे स्वयं के नाम एवं अधिकारिता से भिन्न राज्य के बाहर पंजीकृत व्यवसायियों के मार्फत शाखा स्थानान्तरण की बिक्री पर धारा 10 (d) की अवहेलना नहीं होने के संबंध में अपना पक्ष एवं साक्ष्य दिनांक 27.01.2017 तक/को पेश करें।”

8. अपीलीय अधिकारी के आदेश के उक्त मूल भाग (Part) के पठन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में न्यायिक रूप से यह उचित माना है कि अपीलार्थी को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10(डी) में अपराध घटित होने के सम्बन्ध में उचित कारण (Reasonable excuse) प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'सी' फॉर्म से खरीद किये






लगातार.....6

गये माल की बिक्री घोषित उद्देश्य से भिन्न होने के सम्बन्ध में भी कोई विवेचना नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित करने के निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिये गये हैं, उसमें कोई त्रुटि कारित होना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.2015 को पत्रावली में प्रकरण का विवरण लिखते हुए दिनांक 07.01.2016 के लिये एक नोटिस जारी किया गया है एवं उसके प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं दिया जाने पर तुरन्त एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से अपीलीय अधिकारी एवं कर बोर्ड के समक्ष स्वयं के पक्ष में दिये गये तर्कों की कोई विवेचना कर निर्धारण आदेश में नहीं हुई है तथा अपीलार्थी द्वारा अपील में यह आधार दिया गया था कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, फलतः प्रकरण में सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने में अपीलीय अधिकारी की कोई भूल प्रतीत नहीं होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

9. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण में 3 माह में गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

10. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य